WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JUNE 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- चैम्बर में मा० डॉ सोमेंद्र तोमर राज्यमंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का सदस्यों द्वारा सम्मान एवं मा० मंत्री जी द्वारा चैम्बर की सदस्यता निर्देशिका 2022 का विमोचन
- बजट 2022-23 -उत्तर प्रदेश सरकार
- जीएसटीआर-3B में संशोधन पर विचार करेगी जीएसटी काउंसिल
- जीएसटी 4: जून तक लेट फीस माफ़, कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर नहीं लगेगा लेट पेमेंट
- करदाताओं को अब देनी होंगी अतिरिक्त जानकारियां, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए जारी किए नए आईटीआर फॉर्म
- 20 लाख रूपये निकालने या जमा करने पर देना होगा आधार-पैन
- एक ही पोर्टल पर मिलेंगे 14 सरकारी स्कीमों के लोन
- पोस्ट पेमेंट बैंक में उपलब्ध होंगी सभी सरकारी सेवाएं
- ऊर्जा और नगर विकास में जनसुनवाई की नई व्यवस्था
- घरेलु बिजली कनेक्शन के लिए नहीं देनी होगी फिटिंग रिपोर्ट
- बिजली उपभोक्ताओं को बकाए पर नहीं देना होगा सरचार्ज
- 201 तरह के कागज़ो के लिए पीआईएमएस पंजीकरण होगा अनिवार्य
- दुबई में मिला सबसे विश्वसनीय संस्था का अवार्ड
- चमकेगा व्यापार: लॉजिस्टिक पार्क से खुलेंगे तरक्की के रास्ते
- अब गांव के उद्यमी भी जेम पर बेच सकेंगे अपने उत्पाद
- होटल, मंडप, रेस्टोरेंट को लेनी होगी भू-जल विभाग से एनओसी
- जन सुविधा केंद्र व राशन की दुकान पर भी मिलेंगे स्टाम्प पेपर
- छावनी में भी बढ़ सकती है जमीन की कीमत

चैम्बर में मा० डॉ सोमेंद्र तोमर राज्यमंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का सदस्यों द्वारा सम्मान
एवं
माननीय मंत्री जी द्वारा चैम्बर की सदस्यता निर्देशिका 2022 का विमोचन

14 मई को माननीय राज्यमंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉ सोमेंद्र तोमर जी चैम्बर में पधारे जहां उनका स्वागत चैम्बर के उद्यमी सदस्यों द्वारा किया गया। तदुपरांत अध्यक्ष डॉ राम कुमार गुप्ता जी द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र की ख़राब सड़को, नए औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं, एनसीआर के उद्योगों को 30 सितंबर के बाद पीएनजी पर आने की बाध्यता, पीएनजी पर सब्सिडी, ब्रास बैंड के उद्योगो को ओडीओपी में शामिल करने, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने आदि विभिन्न समस्याओं व सुझावों से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। इस अवसर पर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने हेतु भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए जैसे- नेट मीटरिंग, चौराहों पर सोलर लाइट, सोलर पैनल पर जीएसटी की दरों को पूर्व की भांति करने एवं सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता

कार्यक्रम कराने पर जोर दिया एवं ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए उन पर सोलर पैनल लगाए जाने चाहिए। जिस पर मंत्री जी ने निम्न प्रकार उनका उत्तर दिया।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2017 से पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी जो कि 4 से 5 घंटे में तय होती थी वह अब 45 मिनट में तय हो जाती है। 2017 से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 44 क्षेत्रों में से मेरठ पहले नंबर पर है। मेरठ की पहचान बड़ी है। 2016 के बाद सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने का यह एक बहुत ही अच्छा साधन है। साकेत चौराहा को आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत ले आए हैं उसी तरह से धीरे-धीरे समस्त चौराहों पर काम होगा जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी। विद्युत के अंडरग्राउंड केबिल के बारे में मंत्री जी ने कहा कि इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं।

मेरठ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर कहा कि परतापुर व गेझा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के हिसाब से यह क्षेत्र उपयुक्त हैं एप्रोच रोड भी है। अतः इन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर वार्ता चल रही है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें भी ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत की समस्याओं को अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं लाइन लॉसेस व टेक्निकल लॉसेस 25 से 30% से घटकर 14 से 15% पर आ गई है। उद्योग के लिए अलग से फीडर लाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं।

आज आप से प्राप्त सभी सुझावों से सरकार को अवगत कराकर इन पर कार्य करने का प्रयास करूंगा। इसी तरह की बैठक होती रहनी चाहिए जिससे हमारे संज्ञान में रहे कि हमें मेरठ के विकास के लिए क्या-क्या करना है। आप मुझे अवगत कराएं और मैं सरकार तक पहुंचाकर कार्य करवाने का प्रयास करूंगा। बैठक में डॉ राम कुमार गुप्ता, श्री शशांक जैन, श्री जेके गुप्ता, श्री जी सी शर्मा, सरदार राजेंद्र सिंह, श्री विजेंद्र अग्रवाल, श्री अतुल भूषण गुप्ता, श्रीमती सरिता अग्रवाल आदि लगभग 100 उद्यमी ने भाग लिया।

अंत में माननीय मंत्री जी द्वारा चैम्बर की निर्देशिका 2022 का विमोचन किया गया और अध्यक्ष द्वारा मान्य मंत्री जी को सम्मान प्रतीक भेंट किया गया।

बजट 2022-23 - उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिये Rs 6,15,518.97 करोड़ रुपये के इस बजट में सरकार के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रावधान किये गये हैं।

बजट के कुछ मुख्य बिंदु:

- बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना और 60.20 लाख क्विन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में चलाई जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिये 30 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।
- बजट में, वाराणसी में अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये जमीन खरीदने के वास्ते 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिये मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 700 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की जाएगी।
- विश्वविद्यालयों के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रावधान प्रस्तावित है।

- मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।
- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपदीय थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र/शस्त्र के लिए 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।
- वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
- माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती किए जाने का ऐलान।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे।
- यूपी को 5.90 लाख करोड़ आय का लक्ष्य।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubhamorganics95@gmail.com

जीएसटीआर-3B में संशोधन पर विचार करेगी जीएसटी काउंसिल

पिछले कुछ दिनों में टैक्स चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल जून माह में होने वाली अपनी बैठक में इस पर बड़ा फैसला ले सकता है। जीएसटी काउंसिल समरी रिटर्न और मंथली टैक्स भुगतान फॉर्म GSTR-3B में संशोधन पर विचार कर सकती है, ताकि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों की जांच की जा सके और वास्तविक सेटलमेंट में तेजी लाई जा सके।जीएसटी काउंसिल को कुछ दिनों पहले ही टैक्स भुगतान के मामलों में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली थी। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

फॉर्म संशोधन से आएगी स्पष्टता:

अधिकारियों के अनुसार यह संशोधित फॉर्म टैक्सपेयर्स को ग्रास इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), किसी महीने में दावा की गई राशि और करदाता के लेजर (खाता बही) में बचे नेट एमाउंट के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा।जीएसटी मामले में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक अगले महीने होने की संभावना है। संशोधित फॉर्म फर्जी आईटीसी दावों की जांच करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ईमानदार करदाता समय पर आईटीसी लाभ प्राप्त करने में सक्षम हों। अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद की कानून समिति जीएसटीआर-3बी को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है, ताकि आईटीसी के खुलासे पर और स्पष्टता आए। संशोधित जीएसटीआर-3बी को परिषद की अगली बैठक में पेश किए जाने की उम्मीद है। GSTR-3B, जो एक समरी स्टेटमेंट और मासिक GST भुगतान फॉर्म है, उसे करदाताओं की अलग-अलग कैटेगरी के लिए हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग तरीके से दाखिल किया जाता है।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

जीएसटी 4: जून तक लेट फीस माफ़, कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर नहीं लगेगा लेट पेमेंट

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-4 दाखिल करने के लिए 1 मई से 30 जून 2022 तक लेट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी। सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जून तक दो महीने की लेट फीस माफ कर दी है।

GSTR-4 कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा सालाना दाखिल किया जाता है। GST कानून के अनुसार GSTR-4 दाखिल करने में देरी के लिए प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लिया जाता है। हालांकि, जहां पेयबल टैक्स की टोटल एमाउंट शून्य है, वहां अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है। अन्य सभी मामलों के लिए अधिकतम शुल्क 2,000 रुपये तक लिया जा सकता है।

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को कोई भी बिजनेसमैन चुन सकता है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों के लिए यह 75 लाख रुपये रखा गया है। इस योजना के तहत निर्माताओं और व्यापारियों को 1 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होता है, जबकि रेस्तरां के लिए यह 5 प्रतिशत और अन्य सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6 प्रतिशत है।

करदाताओं को अब देनी होंगी अतिरिक्त जानकारियां, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए जारी किए नए आईटीआर फॉर्म

आयकर विभाग ने हाल ही में आकलन वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 2021-22 या) के लिए नए आईटीआर (आयकर रिटर्न) फॉर्म जारी किए हैं। आईटीआर फॉर्म-1 से 6 तक के सभी फॉर्म लगभग पिछले साल की तरह ही हैं। इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। फिर भी

आयकरदाताओं को इस साल से आईटीआर फॉर्म भरते समय कुछ अतिरिक्त जानकारियां देनी होंगी।

इन जानकारियों में पेंशन के स्रोत की सूचना, ईपीएफ खाते से मिले ब्याज, जमीन खरीद या बिक्री की तारीख जानकारी समेत कई अन्य सूचनाएं देनी होंगी। अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो आपको रिटर्न फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आईटीआर फॉर्म भरते समय इन बदलावों पर जरूर ध्यान दें।

देनी होगी पेंशन के स्रोत की सूचना:

आईटीआर फॉर्म में पेंशन भोगियों को अब पेंशन के स्रोत के बारे में सूचना देनी होगी। अगर आपको केंद्र सरकार से पेंशन मिल रही है तो 'पेंशनर्स सीजी' चुनना होगा। राज्य सरकार को पेंशनरों को 'पेंशनर्स एससी' , सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पेंशनरों को 'पेंशनर्स पीएयसू' विकल्प चुनना होगा। बाकी पेंशनभोगियों को 'पेंशनर्स अदर्स' का चुनाव करना होगा, ईपीएफ पेंशन भी शामिल है।

एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच कोई जमीन खरीदी या बेची है तो आईटीआर फॉर्म में कैपिटल गेन्स के अंदर खरीद या बिक्री की तारीख बतानी होगी। इसके अलावा, जमीन या बिल्डिंग के रिन्यू पर होने वाले खर्च की जानकारी भी हर साल देनी होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकालने के लिए इस खर्च को बिक्री की कीमत से घटानी होगी।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:
SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002
E-mail: anamikaudyog@hotmail.com
Mobile No.: 9837031861, 9927025661

ईपीएफ खाते पर मिला ब्याज:

ईपीएफ खाते में किसी साल में 2.5 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं तो अतिरिक्त योगदान पर मिले ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इसकी जानकारी भी आईटीआर फॉर्म में देनी होगी।

विदेशी संपत्ति और कमाई:

अगर विदेश में आपकी कोई संपत्ति है या विदेश से किसी एसेट पर लाभांश या ब्याज से कमाई हुई है तो आईटीआर फॉर्म-2 और फॉर्म-3 में इसकी जानकारी देनी होगी।

देश के बाहर बेची गई संपत्ति:

अगर किसी व्यक्तिगत करदाता ने देश के बाहर कोई संपत्ति बेची है तो नए आईटीआर फॉर्म में इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें खरीदार और संपत्ति का पता जैसी जानकारियां देनी होंगी।

विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ भी दायरे में:

नए आईटीआर फॉर्म में विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है। अगर आपके पास यह खाता है और उससे कमाई होती है तो उसकी जानकारी इस साल से देनी होगी। हालांकि, आयकर कानून की धारा 89ए के तहत इसमें टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। - मनोज जैन, टैक्स एवं निवेश सलाहकार

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

20 लाख रूपये निकालने या जमा करने पर देना होगा आधार-पैन

एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर यह नियम लागू हो गया है। ऐसे मामले में ग्राहक को पैन कार्ड या आधार देना जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना में कहा कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा।

हर व्यक्ति को इसका पालन करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में 26 मई से पहले हुए लेनदेन पर नया नियम लागू होगा या नहीं। अब तक बैंक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है या निकाल रहा है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं।

अभी तक कोई सीमा नहीं थी:

वैसे अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी। जिस पर पैन या आधार की जरूरत हो। इससे बड़े पैमाने पर नकदी को इधर से उधर किया जाता था। हालांकि एक दिन में 50 हजार रुपये की निकासी या जमा पर यह नियम जरूर लागू था।

नकदी के लेन-देन को पता करने की योजना:

इसके पीछे सरकार का मकसद नकदी के लेन-देन का पता करना है। यह नियम केवल बैंकों या डाकघर के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सहकारी सोसाइटियों पर भी लागू होगा। इसी के साथ अगर आप नया चालू खाता खोलते हैं तो उसके लिए भी पैन जरूरी कर दिया गया है।

जानकारों का मानना है कि इस नए नियम के तहत सरकार अर्थव्यवस्था में नकदी को रोकने की कोशिश करेगी। सालाना विवरण (एआईएस) और टीडीएस के सेक्शन 194 एन के जरिये सरकार पहले से ही इसे ट्रैक कर रही है। पर अब बहुत ही आसानी से नकदी के लेन-देन का पता लगाया जा सकेगा।

छोटे लेनदेन के जरिये टैक्स चोरी:

नोटबंदी के बाद से भी बड़े पैमाने पर छोटे लेनदेन हो रहे हैं। इसका पता लगा पाना सरकार के लिए आसान नहीं था। इससे बड़े पैमाने पर कर चोरी होती थी। पर अब नए नियम से एक-एक रुपये तक के लेनदेन का पता किया जा सकता है। सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर दिया है। इसलिए पैन की जगह आधार कार्ड भी इस लेनदेन के लिए मान्य होगा।

एक ही पोर्टल पर मिलेंगे 14 सरकारी स्कीमों के लोन

सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना बिल्कुल आसान होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने 'जन समर्थ' नामक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल से 14 सरकारी स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। फिलहाल चार श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इनमे शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवनयापन लोन शामिल है। लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब काम जन समर्थ पोर्टल से आवेदन होगा। आवेदक अपने लोन की स्थिति भी देख सकेंगे।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

पोस्ट पेमेंट बैंक में उपलब्ध होंगी सभी सरकारी सेवाएं

पोस्ट पेमेंट बैंक अब बैंकिंग के अलावा अन्य सरकारी सेवाओं को भी लोगों को उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी पोस्ट पेमेंट बैंक मुख्य रूप से वित्तीय समावेश को पूरा करने का काम कर रहा है। साथ ही यहां कोर बैकिंग सेवा के साथ क्यूआर कोड से भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब इसके काम के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत पोस्ट पेमेंट बैंक अब सरकारी योजनाओं को पूरा करने और विभिन्न सरकारी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने में मदद करेगा।

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 1.5 लाख पोस्ट आफिस हैं और अब सरकारी सेवाओं को मुहैया कराने में इतने बड़े नेटवर्क का फायदा उठाने की तैयारी है। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक में पोस्ट पेमेंट बैंक के काम के दायरे को बढ़ाने के लिए 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड देने की मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने बताया कि पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंकिंग सेवा के साथ सभी सरकारी सेवा मुहैया कराने की भी तैयारी है। उन्होंने बताया कि सरकार की स्वामित्व स्कीम को पोस्ट पेमेंट बैंक से जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक काम करेंगे।

स्वामित्व स्कीम के तहत ग्रामीण इलाके में भूमि की सही माप करने के साथ लोगों को उनकी संपत्ति का कार्ड जारी करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य पोस्ट पेमेंट बैंक की पहुंच को और अधिक बढ़ाने के साथ इसे सबसे सस्ता और सबसे अधिक भरोसेमंद बैंक बनाना है। पोस्ट पेमेंट बैंक में कार इंश्योरेंस के साथ विभिन्न प्रकार के लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डीबीटी स्कीम भी चलाई जा रही है। भविष्य में पोस्ट पेमेंट बैंक पूर्ण सरकारी केंद्र के रूप में काम कर सकता है।

ऊर्जा और नगर विकास में जनसुनवाई की नई व्यवस्था

ऊर्जा और नगर विकास विभाग का जिम्मा संभाल रहे मंत्री एके शर्मा ने नई पहल की है। उन्होंने ‘संभव’ नामक वेब पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल उनके दोनों विभागों की योजनाओं, व्यक्तिगत जनशिकायतों, विभागीय मुद्दे और परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत निगरानी करेगा। दोनों विभागों में ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक के अधिकारियों-कर्मियों की

जिम्मेदारी तय की गई है। संभव से आशय है-सिस्टेमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म फार ब्रिंगिंग हैपीनेस एंड वैल्यू...।

पोर्टल की शुरुआत करते हुए एके शर्मा ने कहा कि जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण एवं कार्यक्रमों के असरदार क्रियान्वयन के लिए संभव नामक इस प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है। इसके जरिए विभागीय कार्यों में जवाबदेही तय करने के साथ ही पारदर्शिता भी लाई जाएगी।

ऊर्जा विभाग में ऐसे होगी जनसुनवाई:

ऊर्जा विभाग में इस नये प्लेटफार्म के जरिए अधिशासी अभियंता हर सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे तक और सर्किल स्तर पर अधीक्षण अभियंता दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक जनसुनवाई करेंगे। वहीं हर डिस्कॉम के एमडी हर मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे तक और राज्य स्तर पर हर तीसरे बुधवार को मंत्री और उच्चाधिकारियों के स्तर पर जनसुनवाई 12 बजे से होगी।

नगर विकास विभाग के लिए यह होगी व्यवस्था:

इसी तरह नगर विकास विभाग में निकाय के अधिकारी अधिकारी के स्तर पर जनसुनवाई सोमवार को 10 से 12 बजे तक होगी।

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

घरेलु बिजली कनेक्शन के लिए नहीं देनी होगी फिटिंग रिपोर्ट

बिजली का घरेलु कनेक्शन लेने वालो को फिटिंग रिपोर्ट देना जरुरी नहीं होगा। अब केवल बंधपत्र से ही काम चल जाएगा। घरेलु कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले दस्तावेजों में फिटिंग रिपोर्ट (बी एंड एल फार्म) की मांग की जाती है। ये फिटिंग रिपोर्ट विभाग के मान्यता प्राप्त बिजली ठेकेदार को घर का मुआयना कर देनी होती है। रिपोर्ट में घर में हुई फिटिंग और वहां लगे बिजली उपकरणों आदि की जानकारी दी जाती है। इस रिपोर्ट के लिए लोगो से रिश्वत लेने की शिकायते आ रही थी। इसके बाद यूपीपीसीएल के एमडी पंकज कुमार ने प्रदेश की सभी डिस्कॉम को पत्र जारी कर घरेलु बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से फिटिंग रिपोर्ट लेने पर रोक लगा दी है। अब इसके स्थान पर बंधपत्र लिया जाएगा। फिटिंग रिपोर्ट केवल वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए ही ली जायेगी।

बिजली उपभोक्ताओं को बकाए पर नहीं देना होगा सरचार्ज

उत्तर प्रदेश की सरकार ने बकाएदार किसानों, व्यापारियों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज से शत-प्रतिशत छूट देने का निर्णय किया है। इस संबंध में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की घोषणा की है। योजना पहली जून से 30 जून तक लागू रहेगी। उपभोक्ता अपने बकाये बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर आनलाइन भी जमा कर सकेंगे।

एकमुश्त समाधान योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलमवी-1, समस्त विद्युतभार) व निजी नलकूप (एलएमवी-5, समस्त विद्युत भार), वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) के पांच किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाए पर अधिकतम छह किस्तों और एक लाख से अधिक बकाए पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक उनके देय सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (30 अप्रैल 2022 तक का बकाया व

वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउंटर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केंद्र व वेबसाइट पर आनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता उप्र पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के तहत छूट के बाद देय बकाया राशि की जानकारी आनलाइन भी ले सकते हैं।

बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि इत्यादि स्क्रीन पर दिखेगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा एम. देवराज ने अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिल सके, इसके लिए योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाए। बिल संशोधन के लिए लगातार कैंपों का आयोजन भी किया जाए।

बिल में संशोधन का कर सकते है अनुरोध :

उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन जरूरी है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता व एसडीओ कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर या स्वयं भी उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। इस योजना के तहत एक लाख तक के मूल बकाया धनराशि वाले एलएमवी-1, एलएमवी-5 व एलएमवी-2 श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक के अपने बकाए का भुगतान अगले माह के बिल के साथ अधिकतम 12 किस्तों में भी कर सकता है।

201 तरह के कागज़ो के लिए पीआईएमएस पंजीकरण होगा अनिवार्य

केंद्र सरकार ने नोट, बैंक बॉन्ड, बैंक चेक और सुरक्षा दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाले कागज़ो को छोड़कर ज्यादातर तरह के कागज़ो के आयत के लिए निगरानी तंत्र पीआईएमएस (पेपर इंपोर्ट मॉनीटरिंग सिस्टम) पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने 25 मई को जारी नई आयात नीति में अखबार के न्यूज़प्रिंट, हाथ से बने कागज़ और टिशू पेपर समेत 201

तरह के कागज़ और कागज़ के बोर्ड को शामिल किया है। मंत्रालय की ओर से जारी आयात नीति के तहत इन 201 तरह के कागज़ और कागज़ बोर्ड को मुफ्त श्रेणी से पीआईएमएस के तहत अनिवार्य पंजीकरण के साथ मुफ्त वाली श्रेणी में रखा है। मंत्रालय के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद सभी कागज़ आयात इस नीति के तहत होंगे।

दुबई में मिला सबसे विश्वसनीय संस्था का अवार्ड

दुबई में 21 से 23 मई तक जागरण अचीवर्स अवार्ड्स में मेरठ के एंबिक आयुर्वेद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राज बंसल और उमंग बंसल को एक्सीलेंस इन आयुर्वेद वेलनेस श्रेणी में सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड मिला। एंबिक आयुर्वेद इंडिया परतापुर में है। इसके संस्थापक अतुल बंसल और राज बंसल ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी की नींव रखी थी। पांच उत्पादों से शुरू कर आज 100 से अधिक आयुर्वेद वेलनेस उत्पाद तक पहुंच चुका है। दोनों को यह अवार्ड दुबई के सुल्तान ने दिया।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401

Phone No.: 01233-271137

Email: sales@sangalpapers.com

Website: www.sangalpapers.com

चमकेगा व्यापार: लॉजिस्टिक पार्क से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

शहर में एक्सप्रेस-वे, रैपिड रेल और मेट्रो समेत परिवहन के सौगातों के बाद अब व्यापारिक गतिविधियों का भी पहिया घूमेगा। व्यापार को बढ़ावा देते हुए आर्थिक स्रोतों को मजबूत करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने बजट में मेरठ में लॉजिस्टिक पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले ही इस पर कवायद शुरू कर दी गई थी। पूर्व में कमिश्नर की अध्यक्षता में 12 विभागों को प्लान बनाने का जिम्मा सौंपा गया। मेरठ विकास प्राधिकरण इनका नोडल विभाग है, जो विभागों से समन्वय स्थापित कर शासन को रिपोर्ट भेजेगा।

तैयार होगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट:

प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क की सौगात मेरठ को देने का ऐलान बजट में कर दिया। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पूर्व में हुई बैठक में उपाध्यक्ष एमडीए, प्रदूषण विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एनसीआरटीसी, बिजली विभाग, केंद्रीय वेयर हाउसिंग, उपायुक्त उद्योग, नगर निगम , एसएसपी, नगरायुक्त से सुझाव मांगे गए। अफसरों का कहना है कि विभागों की ओर से अपने योजनाएं तथा प्रस्ताव साझा किए गए थे। इसमें अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

विकास शुल्क में 50 फीसदी की छूट:

शहर के विकास को रफ्तार मिली और समय भी जाया न हो इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन पर फोकस किया गया है। इसमें मल्टीमॉडल परिवहन का अहम योगदान रहेगा। स्टेशन, बस अड्डे के आसपास खुला स्थान, ट्रक, टैंकर आदि के खड़े होने की व्यवस्था से सामान की माल ढुलाई भी होनी चाहिए। वहीं, लॉजिस्टिक पार्क के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। अभी विकास शुल्क की दर 1167 रुपये प्रति वर्गमीटर है।

क्या होता है लॉजिस्टिक पार्क:

यह खाद्य व अन्य वस्तुओं के स्टोर किए जाने का आधुनिक सिस्टम है। इसमें कोल्ड स्टोरेज के अलावा अन्य तरह की सुविधाएं होती हैं। पार्क में देश के दूसरे हिस्से से माल को लेकर स्टॉक

किया जाता है। फिर जरूरत के हिसाब से लोकल स्तर पर इसकी सप्लाई की जाती है। इससे आवागमन पर आने वाले खर्च में बचत होती है। वस्तुओं की कीमत भी कम हो जाती है।

ये होगा फायदा:

जानकारों का कहना है कि लॉजिस्टिक पार्क बनने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की लागत में कमी आएगी। वेयरहाउस का खर्च भी कम होगा। वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण भी कम होगा। कंजेशन में भी कटौती होगी। अभी देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि भारत में अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट सामान की कुल कीमत का 13 फीसदी है, जबकि दूसरे देशों में यह करीब 8 फीसदी है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से वस्तुओं की कीमत में भी कमी आएगी।

ये है उद्देश्य:

अफसरों का कहना है कि लॉजिस्टिक पार्क बनने के बाद देश के विभिन्न हिस्से से बड़े ट्रक और मालगाड़ियों के माध्यम से आने वाले सामान को लोकल स्तर अस्थायी भंडारण करना होता है। बाद में इसे छोटे-छोटे वाहनों के माध्यम से सेंटर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस पार्क में कंटेनर व पार्सल के अलावा घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खाद्य तेल, दूध व दूध से बने उत्पाद, चावल, गेहूं, चना व दालें, फल व सब्जियां, रूई, लकड़ी एवं प्लाईवुड, कागज व कागज उत्पाद, बिजली का सामान, रसायन, भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट व स्ट्रक्चरल्स, ग्रेनाइट व संगमरमर, लोहा एवं इस्पात, भारी मशीनरी, कोयला, पेट्रोलियम तथा लौह अयस्क जैसी वस्तुओं का अस्थायी भंडारण किया जाएगा।

अब गांव के उद्यमी भी जेम पर बेच सकेंगे अपने उत्पाद

अब गांव के उद्यमी भी अपने सामान को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल पर बेच सकेंगे। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जेम की तरफ से डाक सेवा और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के साथ करार किया गया। सीएससी का चार लाख गांवों में अपना नेटवर्क है जिसका उपयोग ग्रामीण उद्यमियों को जेम पोर्टल पर सामान बेचने के लिए किया जाएगा। वहीं डाक

विभाग ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी से लेकर उनके भुगतान तक का दायित्व निभाएगा।

जेम के सीईओ पीके सिंह ने बताया कि अभी जेम के पोर्टल पर 45 लाख उद्यमी पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से मात्र एक-सवा लाख ही सक्रिय रूप से कारोबार करते हैं। जेम पोर्टल पर कारोबारियों के दायरे को बढ़ाने के साथ ग्रामीण उद्यमियों को जोड़ने के उद्देश्य से सीएससी और डाक सेवा के साथ यह समझौता किया गया है। जेम पोर्टल पर बीटूजी (बिजनेस टू गवर्नमेंट) कारोबार होता है। उद्यमियों से सिर्फ सरकार इस पोर्टल पर खरीदारी करती है।

सिंह ने बताया कि ऐसे में ग्रामीण एक समूह बनाकर या अगर कोई ग्रामीण सक्षम है तो वह अपने स्तर पर अकेले भी जेम पोर्टल पर कारोबार कर सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को जेम पोर्टल से जुड़ने के लिए जीएसटी नेटवर्क से पंजीयन होने की कोई अनिवार्यता भी नहीं होगी। ग्रामीण उद्यमियों को पोर्टल से जोड़ने का काम सीएससी के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि सीएससी से जुड़े विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई) को पता होता है कि गांव में कौन सा व्यक्ति किस चीज को बनाने में सक्षम है या वह किन चीजों का उत्पादन कर रहा है। जेम पोर्टल से जुड़ने के लिए ग्रामीण को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

भारत में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है और उनका नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ है। इसलिए डाक कर्मचारी ग्रामीण उद्यमियों के सामान की डिलीवरी देने की जिम्मेदारी संभालेंगे। डाक विभाग से लेकर सीएससी के वीएलई को इन काम के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

होटल, मंडप, रेस्टोरेंट को लेनी होगी भू-जल विभाग से एनओसी

एनजीटी के आदेश के बाद होटल, मंडप, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि को भू-जल विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। अफसरों की टीम ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। एडीएम सिटी दिवाकर सिंह की अध्यक्षता में टीम ने होटल, मंडप, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस का निरीक्षण शुरू किया। बताया कि भूजल विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कोई भी व्यवसायी आवेदन कर सकता है।

जन सुविधा केंद्र व राशन की दुकान पर भी मिलेंगे स्टाम्प पेपर

उत्तर प्रदेश में अब स्टाम्प के लिए वेंडर की तलाश में कहीं दूर कचहरी तक नहीं जाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से भी स्टाम्प की बिक्री करने का निर्णय किया है। सभी जगह 100 रुपये तक स्टाम्प पेपर के साथ ही ई-स्टाम्प की सुविधा होगी।

कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। स्टांप तथा पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अभी संपत्ति की रजिस्ट्री से लेकर किसी भी तरह के अनुबंध के लिए जरूरी स्टाम्प लेने के लिए वेंडर की तलाश में लोगों को काफी दूर तक जाना पड़ता है। सरकार ने जनता को राहत देने के लिए तय किया है कि अब 100 रुपये तक के मूल्य वाले स्टाम्प पेपर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान और सीएससी से भी बेचे जा सकेंगे।

स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन के माध्यम से सीएससी और राशन की दुकान पर 100 रुपये से ज्यादा किसी भी मूल्य के ई-स्टाम्प को लेने की भी व्यवस्था की जाएगी। अभी लगभग 15 हजार स्टाम्प वेंटर हैं। लगभग 35 हजार सीएससी से भी स्टाम्प बेचने की सुविधा होने पर लोगों को स्टाम्प के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

छावनी में भी बढ़ सकती है जमीन की कीमत

छावनी की जमीनों की कीमत बढ़ने वाली है। पिछले छह साल से छावनी की भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। इस साल छावनी की भूमि के सर्किल रेट में भी बदलाव होगा। साथ ही एसटीआर (स्टैंडर्ड टेबल ऑफ रेंट) भी संशोधित होगा। रक्षा सम्पदा कार्यालय से इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है।

छावनी में अभी 2016 का एसटीआर लागू है। इसके अनुसार ही छावनी की सम्पत्तियों का किराया तय किया जाता है। छावनी में अधिकांश भूमि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की मानी जाती है। इसमें छावनी के बंगले की लीज, कैंट की सम्पत्तियों का किराए की बढ़ोतरी एसटीआर

पर होती है। मेरठ में रैपिड रेल के कार्य होने के साथ सरधना में खेल विश्वविद्यालय बनने से छावनी की जमीनों की कीमत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मेरठ के नगरीय क्षेत्र का सर्किल रेट बढ़ने के साथ छावनी में भी जमीन की कीमत बढ़ेगी। छावनी में एसटीआर की दरों में 20 से 25 फीसद की बढ़ोतरी हो सकती है।

अभी 10 हज़ार से 70 हज़ार प्रति वर्ग मीटर है एसटीआर:

छावनी में आवासीय क्षेत्र में सबसे महंगी जमीन आबूलेन की है। जो वर्ष 2016 की एसटीआर के अनुसार 70500 रूपये प्रति वर्ग मीटर है। सबसे कम आरए बाजार और तोपखाना क्षेत्र की जमीन 9500 रूपये प्रति वर्ग मीटर है।

लीज का नवीनीकरण एसटीआर पर:

छावनी में नए भूमि प्रशासन नियम के अनुसार छावनी में लीज पर जितनी भी सम्पत्तियां है उनके लीज का नवीनीकरण एसटीआर के अनुसार किराया देने पर ही होगा। वर्तमान में अभी लीज की सम्पत्तियों का वार्षिक किराया बहुत ही कम है। अगर एसटीआर की दर संशोधित होती है तो किराया लाखो रूपये में पहुंचेगा।

XXXXXXXXXX